न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 231/2020
3. उनवान : सरकार जरिये राजेन्द्र बूसर, प्रवर्तन अधिकारी

बनाम

श्री रणवीर सिंह पुत्र श्री उम्मेद सिंह, निवासी ग्राम टोडरवास, ग्राम पंचायत महरादासी तहसील व जिला झुंझुनु हाल निवासी प्लाट नं. 712 सेक्टर 13, मालवीय नगर जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 14.09.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) श्री अशोक चौधरी अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी, जयपुर प्रथम श्री राजेन्द्र बूसर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 15.09.2015 को शिकायत की जांच हेतु अप्रार्थी के मकान पर पहुंचे। कार्यवाही के दौरान 2 घरेलू गैस सिलेण्डर एचपीसीएल, 3 वाणिज्यिक सिलेण्डर(2एचपीसीएल+1आईओसी) मय कुल गैस 26.600 किग्रा., 1 लोहे की बांसुरी, सॉल्टर मशीन, सिलेण्डर कैप प्लास्टिक नग–9 जब्त किये गये। अप्रार्थी द्वारा गैस अन्तरण का कार्य कर, कालाबाजारी में सिलेण्डर क्रय करके भण्डारण/संग्रहण किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा प्रकरण के सन्दर्भ में कोई सन्तोषप्रद जवाब एवं वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 13.07.2022 को अधिवक्ता श्री अशोक चौधरी ने उपस्थिति दी। अप्रार्थी की ओर से जरिये अभिभाषक दिनांक 27.07.2022 को पेश जवाब में अंकित किया कि उक्त जब्त माल अप्रार्थी से बरामद नहीं किया गया था ना ही उक्त माल से अप्रार्थी को कोई लेना–देना है। तत्पश्चात प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी। इस पर भी अप्रार्थी/अभिभाषक अनुपस्थित रहे। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 14.09.2022 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 15.09.2015 को जब्त सामान से अप्रार्थी द्वारा गैस अन्तरण कर, कालाबाजारी से सिलेण्डर क्रय करके अवैध भण्डारण/संग्रहण किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा जब्त वस्तुओं की वैधता के संबंध में मौके पर कोई साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं करवाये गये तथा कोई सन्तोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। मौके पर अप्रार्थी ने स्वयं को किसी भी गैस एजेन्सी का कर्मचारी नहीं होना बताते हुए वाणिज्यिक सिलेण्डर मिलने वालों से लाकर कमीशन बेस पर विक्रय करने का कार्य किया जाना बताया। मौके से लोहे की बांसुरी, सॉल्टर मशीन, सिलेण्डर कैप आदि पाये जाने से अवैध रुप से गैस अन्तरण का कार्य किया जाना सिद्ध होता है। अतः अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस(प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। ऐसी स्थिति में फर्द जब्ती से जब्त वस्तुओं के संबंध में सन्तोषप्रद जवाब अथवा कोई वैध दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा जब्त सामान 2 घरेलू गैस सिलेण्डर एचपीसीएल 3 वाणिल्यिक सिलेण्डर (2एचपीसीएल+1आईओसी) मय गैस 26.600 किग्रा., 1 लोहे की बांसुरी, सॉल्टर मशीन, सिलेण्डर कैप प्लास्टिक नग–9 को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर शहर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।